संविदा कार्मिकों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

छबड़ा, (निसं)। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा व ठेका कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में शुक्रवार को चिकित्सालय के संविदा कार्मिकों ने सुबह 8 से 10 बजे तक चिकित्सालय गेट पर प्रदर्शन किया। इस कारण यहां पहुंचने वाले मरीजों की पर्ची नही बन पाई और न ही दवाईयां मिल सकी। हड़ताल के कारण मरीज काफी परेशान होते रहे। हडताल पश्चात कार्मिको ने एसडीएम कार्यालय पहुंच मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान नही होने पर 20 सितंबर से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल किए जाने की चेतावनी दे दी हैं।

कार्मिकों ने बताया कि महासंघ द्वारा कई बार चिकित्सा विभाग में निविदा व प्लेसमेंट, एजेंसी व ठेका पर लगे कार्मिक जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, डाटाएंट्री ऑपरेटर, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना में, पहचान, सीजी, टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, लैब सहायक, सफा कर्मचारी, ट्रोली मैन, डीडीसी हेल्पर, डाइलीसीस टेक्निशियन, वार्ड बॉय, यशोदा, ऑफिस हेप्लर आदि की मांगों के निस्तारण को लेकर राज्य सरकार व उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया किंतु आज तक इन समस्याओ का समाधान नहीं होने से ऐसे कार्मिकों का शारीरिक व आर्थिक शोषण हो रहा हैं। वही, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट घोषणा-2023 में ठेका प्रथा समाप्त कर रेक्सो की तर्ज पर आरएलएसडीसी सरकारी बोर्ड व कंपनी की घोषणा के लंबे समय बाद भी इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया एवं ना ही ठेका कर्मचारियों को संविदा सेवा नियम-2022 में शमिल किया गया। इससे कार्मिको में रोश व्याप्त है। इस अवसर पर रामप्रसाद चंदेल, बृजराज पांचाल, जितेंद्र नागर, पंकज महावर, नेमीचंद महावर, रवि बुनकर, रानू गालव, चंद्रप्रकाश लोधा, कमलेश, सुनील प्रजापति, धर्मेंद्र नागर, मनोज तेजस्वी, ममता बाई, लीला बाई, राधा बाई, रीना लोधा, निशा कुशवाह, आशीष मालव, ओमप्रकाश, अभिषेक, गोविंद लोधा व नरेश बैरागी आदि मौजूद रहे। हडताल के कारण यहां मरीज काफी परेशान होते दिखे।

अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा व ठेका कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में चिकित्सालय के संविदा कार्मिकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

सार-समाचार

डीआरएम ने स्वच्छता की शपथ दिलाई

कोटा, (निसं)। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को सबकी जिम्मेदारी बताने के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी के मार्गदर्शन में कोटा मंडल में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा। जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों, कार्यालय परिसरों, स्वच्छ भोजन और पानी, स्वच्छ जल निकायों, परिसर और शौचालयों की साफ-सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के साथ-साथ जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में मण्डल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी ने 15 सितम्बर को कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस पखवाड़े में प्रतिदिन स्वच्छता की अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जायेगी। इसके अतिरिक्त स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान सम्बन्धी बैनर, पोस्टर मण्डल के प्रमुख स्टेशनों पर जगह-जगह लगाये जाएंगे, साथ ही स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली द्वारा भी स्वच्छता जागरूकता संबंधी संदेशों का प्रसारण कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

अभियंताओं ने किया रक्तदान

कोटा, (निसं)। भारत विकास परिषद् आजाद शाखा कोटा व पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन कोटा संभाग के संयुक्त तत्वाधान में 15 सितम्बर इंजीनियर्स डे (अभियन्ता दिवस) के अवसर पर कार्यालय अधिशासी अभियंता सकतपुरा कोटा पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद आजाद शाखा के सचिव प्रदीप टेलर ने बताया की इस रक्तदान शिविर में 35 यूनिट रक्तदान किया गयारक्तदान शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष किशन पाठक रहे। विशिष्ट अतिथि भारत विकास परिषद प्रांतीय उपाध्यक्ष रवि प्रकाश विजय, कोटा थर्मल अभियंता डा लखन शर्मा, प्रांतीय रक्तदान सहप्रभारी सुधीर सक्सेना, प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, अभियंता ओ पी शर्मा रहे।

सहायता राशि के बारे में बताया

कोटा, (निसं)। निरोगी कोटा स्वस्थ कोटा नवाचार के तहत शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की ओर से लाडपुरा ब्लॉक के बनियानी गांव स्थित अंबिका क्रेशर पर सिलिकोसिस जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सिलिकोसिस संभावित 40 श्रमिकों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और परामर्श दिया। डीटीओ डॉ एसएन मीणा ने बताया कि 5 श्रमिकों को स्पूटम जांच और 5 को चेस्ट एक्सरे के लिए रेफर किया गया। 25 श्रमिकों का बीपी और शुगर भी जांचा गया। मेडिकल टीम ने श्रमिकों को सिलिकोसिस रोग से बचाव के साधन अपनाने की हिदायत दी। खनन क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य करते और ब्लास्टिंग मशीन से खनन करते समय उड़ती धूल-मिट्टी से बचाव करने, खनन क्षेत्रों के कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव करने, खनन कार्य के समय डस्ट मास्क का उपयोग करने के बारे में चेताया गया। टीबी रोग बचाव-उपचार संबंधी योजनाएं- निक्षयमित्र, निक्षय पोषण योजना, निक्षय संबल योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत योजना के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान और सिलिकोसिस सहायता राशि के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में अरंडखेड़ा पीएचसी के स्टाफ ने भी सेवाएं दी।

महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया

कोटा, (निसं)। 40वां महिला कांग्रेस स्थापना दिवस कोटा कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम के नेतृत्व में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर राखी गौतम ने सभी महिलाओं को साथ ले कर पूरे राजस्थान में एक मजबूत संगठन बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये संगठन भविष्य में महिला शक्ति को आगे बढ़ने में महिलाओं की छोटी से छोटी समस्या का समाधान करने मे सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम का मंच संचालन माया जैन ने किया, अतिथि पूर्व विधायक पूनम गोयल रही। पूनम गोयल ने सभी बहनों को संबोधित कर महिला कांग्रेस को मजबूत करने का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की पार्षद सलीना शेरी, सीता भाटी, जया बाधवानी, बुलबुल पवार, आदि समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रही।

कार से डोडा-चूरा बरामद

छबड़ा, (निसं)। छबड़ा के तीन तस्कारों को एमपी की ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके कब्जे से कार की डिक्की के नीचे छुपाकर रख रखा 68 किलो डोडा-चूरा बरामद किया। जिसकी कीमती करीब 2 लाख 60 हजार रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी हैं। डीएसपी केएम शियाज ने बताया कि उन्हे सूचना मिली कि कुछ तस्कर राजस्थान से डोडा-चूरा लेकर आ रहे हैं। आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहना के टीकला तिराहा पर वाहनो की चैकिंग की जा रही थी कि तभी एक सफेद रंग की अर्टिका कार नंबर कार को रोकने का प्रयास किया, किंतु चालक कार को वापस घुमाकर लौटने लगा। इस पर पुलिस टीम द्वारा गाड़ी को घेराबंदी कर रोक लिया गया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांक:-नपबा/रुपां./2023/7274 **लोक सूचना** दिनांक:-15.09.2023

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि राजस्व ग्राम नकला खसरा नं. 818/55 रकबा 0.06 हे. खसरा नं. 820/55 रकबा 0.35 हे., खसरा नं. 821/57 रकबा 0.02 हे., खसरा नं. 822/57 रकबा 0.14 हे., खसरा नं. 823/57 रकबा 0.59 हे., खसरा नं. 825/50 रकबा 0.24 हे., खसरा नं. 824/50 रकबा 0.27 हे., खसरा नं. 819/55 रकबा 0.19 हे., खसरा नं. 54 रकबा 0.52 हे. में से 0.10 कुल किता 9, रकबा 1.96 हे. एवं राजस्व ग्राम बारां के खसरा संख्या 441 रकबा 0.10 हे., खसरा नं. 527 रकबा 0.13 हे., खसरा नं. 2265/441 रकबा 0.20 हे., 2392/440 0.34 हे. में से 0.11 हे, कुल किता 4, कुल रकबा 0.54 हे. तहसील बारां जिला बारां में स्थित भूमि का 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व की कालावधि से गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उक्त भूमि में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसीन किए जाने के दायी है।

अत: उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बताये कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार ने समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सकें।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मुहर के अधीन.............को जारी की जाती है।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय...नगर परिषद बून्दी (राज.)

क्र.सं. 5906 **लोक सूचना** दिनांक-15.9.23

आवेदक जितेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल निवासी बून्दी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक व्यवसायिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील बून्दी जिला बून्दी	ग्राम छत्रपुरा	3001/2888	रकबा 0.3076 है. में से 1937 वर्गमीटर (पेट्रोल पम्प) व्यवसायिक प्रयोजनार्थ

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 15.9.23 को जारी की गयी।

आयुक्त नगर परिषद बून्दी

उपभोक्ता जागरुकता रैली निकाली

कोटा में उपभोक्ता जागरुकता रैली का आयोजन किया।

कोटा, (निसं)। राजस्थान मिशन 2030 के अन्तर्गत उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जिला रसद कार्यालय के नेतृत्व में उपभोक्ता जागरुकता रैली का आयोजन किया गया।

जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने बताया कि जागरूकता रैली में अदिति जगरवाल प्रवर्तन अधिकारी, कृष्ण कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक एंव राज्य उपभोक्ता परामर्श केन्द्र के चेयरमैन पंकज शर्मा व अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के संभाग प्रभारी यज्ञदत्त हाड़ा द्वारा संयुक्त रुप से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। रैली महात्मा गांधी कॉलोनी से रवाना होकर बोरखेडा, कैनाल रोड, अमृत नगर व गायत्री विहार होती हुई कोटा बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। रैली में उपभोक्ता जागरुकता के विभिन्न नारे लिखी तख्तियां तथा हाथों में तिरंगे झंण्डो के साथ नारे लगाये गये। रैली के समापन पर सभी विद्यार्थियों को अल्पाहार एंवं पानी की बोतल वितरित की गई। इस अवसर पर स्काउट गाईड के कैंडिडेट एवं अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के ग्रामीण अध्यक्ष अरविंद कुमार तथा जिला उपभोक्ता सरंक्षण समिति के सदस्य ललित मोहन चतुर्वेदी उपस्थित रहे।

प्राकट्य महोत्सव को लेकर उत्साह

कोटा, (निसं)। आगामी 20 सितंबर को सनाढ्य समाज कोटा द्वारा गुरु वशिष्ठ प्राकट्य महोत्सव के आयोजन को लेकर सनाढ्य समाज कोटा महानगर द्वारा आयोजन की तैयारी की जा रही है। आयोजन समिति के सहसंयोजक रामस्वरूप शर्मा ने बताया की शहर के विभिन्न स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सनाढ्य समाज के प्रत्येक घर पर निमंत्रण पत्र पहुंचाकर उनको आयोजन में सम्मिलित होने का आग्रह किया जा रहा है। इसी क्रम में स्टेशन क्षेत्र की बैठक उमरावमल पुरोहित सभागार पर एवं महावीर नगर विस्तार योजना की बैठक सेक्टर एक स्थित गणगोरी पार्क पर आयोजित की गई पंडित गोविंद शर्मा ने अपने संबोधन में सनाढ्य समाज के आराध्य देव गुरु वशिष्ठ जी के प्राकट्य महोत्सव के आयोजन में सभी समाज बंधुओं से उत्साह से भाग लेने का आग्रह किया।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2023/23318 दिनांक: 15.9.23

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गजेन्द्र विजय पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय एवं श्री सुरेन्द्र विजयवर्गीय पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय निवासी भूखंड संख्या 603 दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर 603 दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 603 दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक लेखा/मण्डी/3330 दिनांक 09.10.1969 से श्री नेमीचन्द विजय पुत्र श्री कृष्ण गोपाल को किया गया। श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय का देहावसान दिनांक 21.08.2019 को हो जाने के उपरांत श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय के विधिक वारिसान श्रीमती नर्बदा देवी विजयवर्गीय पत्नी स्व. श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय एवं श्रीमती निर्मला देवी पुत्री स्व. श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय पत्नी श्री योगेश गुप्ता एवं श्रीमती मिथलेश पुत्री स्व. श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय पत्नी श्री राधेश्याम ने जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 06.06.2023 से उक्त भूखंड में से स्वयं का हक श्री गजेन्द्र विजय पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय एवं श्री सुरेन्द्र विजयवर्गीय पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द विजयवर्गीय के पक्ष में त्याग दिया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त (प्रथम) नगर निगम कोटा (दक्षिण)

निरीक्षण किया

बूंदी, (निसं)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मा याजा झाली जी का बराना, सुमेरगंज मंडी का इनक्यूएएसराज्य स्तरीय टीम निरीक्षण ,गुरुवार एवम शुक्रवार को निरीक्षण किया गया जिसमें संस्थाओं के अलग-अलग छह डिपार्मेंटों का तथा पूरी संस्थान का गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत निरक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओ पी सामर ने बताया कि राज्य स्तर का एसेसमेंट है जिसमे 70 अंक संस्था प्राप्त कर लेती है तो आगामी 3 माह में नेशनल स्तर की टीम आएगी। सीएमएचओ डॉ सामर ने बताया कि नेशनल स्तर में पास हो जाती है तो प्रत्येक संस्थान को तीन-तीन लाख रुपए पर साल मिलते हैं जिसमें 25 परसेंट स्टॉप इंसेंटिव होता है तथा 75 परसेंट संस्थान का कायाकल्प करने में काम आते हैं । 20 सितंबर तक तक 15 संस्थाओं का राज्य स्तर की अलग-अलग टीमों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। अभी राज्य स्तर से आई टीम में डॉक्टर जिनेश सैनी डॉक्टर अमित चौधरी अनिल शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा निरीक्षण किया गया।

एक करोड़ 35 लाख रुपए से लुहावद के तालाब का होगा सौंदर्यकरण

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा और बूंदी में 90 करोड़ की लागत से 64 तालाबों, एनिकट और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोधार होगा। स्पीकर बिरला के विशेष प्रयासों से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत यह विशेष स्वीकृति जारी की है।

स्पीकर बिरला का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी के संसाधनों को मजबूत किया जाए ताकि हमारे किसान सशक्त हो और उनकी आय बढ़ सके। इसी के तहत उन्होंने संसदीय क्षेत्र में 64 तालाब, एनीकट तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं को किसानों और ग्रामीणों से चर्चा कर चिन्हित किया था जिनकी मरम्मत व जीर्णोद्धार आवश्यक था। यह काम होने के बाद अब क्षेत्र व खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। ओम बिरला के इस कार्य के लिए लुहावद की सरपंच संजीदा रफीक पठान, पूर्व सरपंच बद्री प्रकाश आर्य, रफीक पठान सहित सभी ग्रामीणों ने आभार जाता है स्वीकृती के अनुसार पंचायत समिति इटावा में 1.33 करोड़ की लागत से लुहावद तालाब, 1.56 करोड़ की लागत से गणेशगंज तालाब, 1.24 करोड़ की लागत से जालोदा खालियान तालाब, 1.86 करोड़ की लागत से अयाना तालाब का जीर्णोद्धार होगा। इसी तरह पंचायत समिति खैराबाद में 3.09 करोड़ की लागत से खैराबाद तालाब, 1.3 करोड़ की लागत से जुल्मी तालाब, 1.93 करोड़ की लागत से मोड़क स्टेशन तालाब, 1.09 करोड़ की लागत से हतौना एनीकट, 1.68 करोड़ की लागत से खाटौली तालाब, 1.43 करोड़ की लागत से अमरपुरा तालाब, 2.15 करोड़ की लागत से रीझड़िया तालाब, 2.36 करोड़ की लागत से दण्ड का तालाब, 2.43 करोड़ की लागत से फावा तालाब, 2.71 करोड़ की लागत से उदपुरा तालाब, 1.66 करोड़ की लागत से मण्डा तालाब, 5.84 करोड़ की लागत से उण्डवा तालाब का जीर्णोद्धार होगा। लाडपुरा पंचायत समिति में 98 लाख की लागत से राजपुरा तालाब, 85 लाख की लागत से गोदलियाहेड़ी, 72 लाख की लागत से अमरकुआं तालाब, 98 लाख की लागत से आलनिया एनीकट तथा 1.94 करोड़ की लागत से बोराबास तालाग की दशा सुधरेगी। सांगोद पंचायत समिति में 69 लाख की लागत से कुशालीपुरा तालाब, 75 लाख की लागत से कुराड़ तालाब, 71 लाख की लागत से मोइकलां तालाब, 69 लाख की लागत से लटूरी तालाब, 81 लाख की लागत से आवां तालाब, 59 लाख की लागत से कुराड़िया तालाब, 63 लाख की लागत से सामरिया तालाब, 67 लाख की लागत से हींगोनिया तालाब, 67 लाख की लागत से झालरी तालाब तथा 63 लाख की लागत से सावनभादौ तालाब का विकास कराया जाएगा।

परचम लहराया

कोटा, (निसं)। महात्मा गांधी रा. वि.भीममंडी की विज्ञान संकाय की 6 होनहार छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉइड सर्च कैंपेन में भाग लेकर विश्व की 203 में से एक प्रोविजनल डिस्कवरी प्राप्त की है। प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीममंडी डॉ कुसुम लता शर्मा ने बताया की विश्व के 80 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉइड सर्च कैंपेन में भाग लिया था जिनकी हाल ही में 203 प्रोविजनल डिस्कवरी की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीम मंडी कि यह लगातार दूसरी प्रोविजनल डिस्कवरी है विद्यालय से लगातार 2 वर्षों से इस कैंपेन में भाग लिया जा रहा है जिसमें अब तक लगभग 20 छात्राएं नासा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं।

कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक
रीको, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

क्रमांक : U(16)-3()/2023-24/2644 दिनांक : 15.09.2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मूदंडा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. भूखण्ड संख्या सी-330(ए) औद्योगिक क्षेत्र इन्द्रप्रस्थ, कोटा द्वारा इस भूखण्ड का इकरार नामा दिनांक 29.04.1998 व संशोधित लीजडीड दिनांक 30.04.1998 गुम हो जाने के कारण की सप्लीमेन्ट्री लीजडीड करने बाबत् इस कार्यालय में आवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भूखण्ड संख्या सी-330(ए) औद्योगिक क्षेत्र इन्द्रप्रस्थ, कोटा का आवंटन दिनांक 26.05.1992 को मैसर्स अनुराग इण्डस्ट्रीज के पक्ष में किया गया था जिसकी लीजडीड का निष्पादन दिनांक 12.07.1993 पंजीयन दिनांक 12.07.1993 को रीको एवं मैसर्स अनुराग इण्डस्ट्रीज के मध्य निष्पादित/पंजीकृत करवाई गई थी। तत्पश्चात् मूल इकरार नामा निष्पादन दिनांक 29.04.1998 पंजीयन दिनांक 06.05.1998 जो कि मैसर्स अनुराग इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री अनुराग शर्मा पुत्र श्री सी.पी. शर्मा द्वारा नियुक्त मुख्तार श्री कैलाश शर्मा, निवासी पाटनपोल, कोटा व क्रेता फर्म मैसर्स मून्दडा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. जर्ये निदेशक श्री ओम प्रकाश मून्दडा पुत्र श्री जमनाशंकर मून्दडा निवासी ई-8 बल्लभ बाड़ी, गुमानपुरा, कोटा के मध्य निष्पादित/पंजीकृत करवाई गई थी तथा संशोधित लीजडीड निष्पादन दिनांक 30.04.1998 पंजीयन दिनांक 15.05.1998 जो कि रीको एवं मैसर्स मून्दडा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. द्वारा निष्पादित/पंजीकृत करवाई गई थी। यह कि उक्त मूल इकरार नामा दिनांक 29.04.1998 व संशोधित लीजडीड दिनांक 30.04.1998 की उद्यमी द्वारा कहीं गुम हो गई है। जिसके सम्बन्ध में आवंटी कंपनी द्वारा दिनांक 24.08.2023 को गुमशुदगी रिपोर्ट नं. LR No. 1918083/2023 को दर्ज करवायी गयी है। यदि उक्त दस्तावेज किसी भी वित्तीय संस्थान/व्यक्ति के पास बंधक हो तो इसकी लिखित में सूचना मय दस्तावेजी साक्ष्य इस आम सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर देवें। यदि 30 दिवस के भीतर कोई आपत्ति या सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इस कार्यालय द्वारा उद्यमी के आवेदन पर विचार कर नियमानुसार फर्म मैसर्स मून्दडा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. भूखण्ड संख्या सी-330(ए) औद्योगिक क्षेत्र इन्द्रप्रस्थ, कोटा की सप्लीमेंन्ट्री लीजडीड फर्म मैसर्स मून्दडा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. निदेशक श्री यश मून्दडा पुत्र श्री गोपालदास मून्दडा के पक्ष में करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(एम.के.शर्मा)
वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक रीको, कोटा

आम सूचना

मेरे पक्षकार श्री राजेश केन पुत्र स्व. श्री अशोक केन निवासी यश विहार मकान न. 68 पूनम कालोनी कोटा (राज.) (324002) के निर्देशानुसार हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का भतीजा रजत केन पुत्र स्व. श्री शेखर केन उम्र 28 वर्ष, सुन्दर नगर मकान न. 12 कोटा राज. (324002) में निवास कर रहा है, कुछ समय से उसका आचरण ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है, यदि वह कोई अनुचित कदम उठाता है, या उसके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही होती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे पक्षकार की उसमें किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अत: सूचित हो।

स्थान : कोटा
दिनांक : 15.9.23

भवदीय
इकरामुद्दीन खान एडवोकेट

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना शादी पूर्व का नाम भारती टेकवानी से बदलकर शादी पश्चात नया नाम कोमल हिरानी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-कोमल हिरानी पत्नी गोपी चन्द हिरानी मकान नम्बर 200 शोपिंग सेन्टर कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम मोहम्मद हुसैन मुल्ला नोमान भाई सुनेली से बदलकर नया नाम मोहम्मद हुसैन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-मोहम्मद हुसैन पुत्र मुल्ला नोमानभाई शेख अहमदअली फर्स्ट फ्लोर मुफदल बिल्डिंग काजीपाडा टिपटा कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम तस्नीम से बदलकर नया नाम तस्नीम शब्बीर हकीमी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-तस्नीम शब्बीर हकीमी पत्नी शब्बीर पिड़ावा रोड सुनेल झालावाड़

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम रितेश नकलक से बदलकर नया नाम रितेश कुमार नकलक रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-रितेश कुमार नकलक पुत्र रमेश नकलक A-536-A इन्द्रा विहार कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम GURJIT SINGH से बदलकर नया नाम GURJEET SINGH रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-गुरजीत सिंह पुत्र परगत सिंह गांव दीगोद कोटा

अपराध नियंत्रण में पुलिस के साथ आमजन की महत्वपूर्ण भूमिका : नरेंद्र कुमार पारीक

बून्दी, (निसं)। राजस्थान मिशन 2030 के संदर्भ में विचार मंथन व सुझाव हेतु शुक्रवार को सिटी कोतवाली पर सीएलजी सदस्यों , सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र व ग्रामरक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार पारीक ने की।

इस अवसर पर प्रशिक्षु डीवाईएसपी दिलीप एवं थाना अधिकारी सहदेव मीणा मंचासीन रहे। बैठक में पुलिस व आम जन के बीच मध्यस्थ के रूप में सहभागी प्रतिनिधियों स्वयंसेवक व कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, पुलिस व्यवस्था से जुड़ी अपेक्षाओं, आवश्यकताओं पर विजन 2030 हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की व लिखित सुझाव दिए।अध्यक्षीय उद्बोधन में पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार पारीक ने अपराध नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में पुलिस के साथ आमजन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के संबंध में समय पर सूचना देने तथा अपराधियों को पकडवाने में आमजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2030 तक पुलिस व्यवस्था में सुधार करने एवं आमजन पुलिस के प्रति विश्वास वृद्धि के लिए नवाचारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निवारण समय पर हो यह बहुत जरूरी है। म8सहन 2030 पर उन्होंने संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि किस प्रकार पुलिस की सेवाओं को प्रभावी बनाया जाए व समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो इस दिशा में सकारात्मक वातावरण बनाना हमारा सामूहिक दायित्व है। बैठक में संभागियों ने उपाधीक्षक को आश्वस्त किया कि अपराध नियंत्रण व जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में वे अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

थाना अधिकारी सहदेव मीणा ने विभिन्न प्रकार के अपराधों में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सदस्यों को परिचित करवाया तथा विजन 2030 की आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डाला।इससे पूर्व परिचय सत्र से हुई बैठक में संभागियों ने अपना अपना कार्य क्षेत्र व परिचय प्रस्तुत किया। हेड कांस्टेबल आत्माराम शर्मा ने आगन्तुको का अभिनन्दन किया। इस अवसर पर सीएलजी सदस्यों व पुलिस मित्रों द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र ने विजन 2030 परिचय के साथ बैठक का संचालनकिया। थाना अधिकारी सहदेव मीणा ने आआभार व्यक्त किया।

सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र व ग्रामरक्षकों की बैठक आयोजित हुई।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2308 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 15.9.23

आवास संख्या 1-छ-9 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती नरबदा देवी पत्नी श्री सीताराम अग्रवाल को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती नरबदा देवी पत्नी श्री सीताराम अग्रवाल द्वारा दिनांक 05.07.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। श्रीमती नरबदा देवी पत्नी श्री सीताराम अग्रवाल द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 09.05.2017 को अपने पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सीताराम अग्रवाल को किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती नरबदा देवी पत्नी श्री सीताराम अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 04.10.2019 को हो चुकी है। श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सीताराम अग्रवाल का नाम दिनांक 19.11.2020 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सीताराम अग्रवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.04.2021 को श्रीमती सेजल रीझवानी पत्नी श्री रमेश रीझवानी को किया गया। श्रीमती सेजल रीझवानी पत्नी श्री रमेश रीझवानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में अपना नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती सेजल रीझवानी पत्नी श्री रमेश रीझवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सेजल रीझवानी पत्नी श्री रमेश रीझवानी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सेजल रीझवानी पत्नी श्री रमेश रीझवानी के नाम मंडल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 15.9.23

आवास संख्या 3-एम-15 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती द्वारकी बाई पत्नी श्री मोतीलाल वर्मा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती द्वारकी बाई पत्नी श्री मोतीलाल वर्मा के नाम दिनांक 26.07.2012 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती द्वारकी बाई पत्नी श्री मोतीलाल वर्मा द्वारा उक्त आवास का दान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 20.03.2014 को श्री देवेन्द्र प्रजापति पुत्र श्री राजेन्द्र प्रजापति को किया गया। श्री देवेन्द्र प्रजापति पुत्र श्री राजेन्द्र प्रजापति का नाम दिनांक 01.09.2016 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री देवेन्द्र प्रजापति पुत्र श्री राजेन्द्र प्रजापति द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.09.2016 को श्री धनराज पाडोलिया पुत्र श्री मदन लाल को किया गया।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री धनराज पाडोलिया पुत्र श्री मदन लाल के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री धनराज पाडोलिया पुत्र श्री मदन लाल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री धनराज पाडोलिया पुत्र श्री मदन लाल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2256 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 14.9.23

आवास संख्या 1-जी-13 कुन्हाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री दिनेश चंद्र मीणा पुत्र श्री हरगोविन्द मीणा को किया गया था। श्री दिनेश चंद्र मीणा पुत्र श्री हरगोविन्द मीणा द्वारा इस आवास का पंजीयन दिनांक 03.03.2005 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री दिनेश चंद्र मीणा पुत्र श्री हरगोविन्द मीणा द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्यवाही किए जाने हेतु दिनांक 01.07.2013 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री गोविन्द सिंह गौड पुत्र स्व. श्री अमर सिंह गौड को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री गोविन्द सिंह गौड पुत्र स्व. श्री अमर सिंह गौड द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 03.11.2017 को श्रीमती सीमा चौहान पत्नी श्री गोविन्द सिंह गौड को किया गया। श्रीमती सीमा चौहान पत्नी श्री गोविन्द सिंह गौड का नाम दिनांक 19.12.2017 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती सीमा चौहान पत्नी श्री गोविन्द सिंह गौड द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 20.07.2023 को श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री शांति लाल जैन को किया गया।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री शांति लाल जैन का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री शांति लाल जैन का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री शांति लाल जैन के नाम मंडल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा